

राजस्थान—सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राज०, जयपुर ।  
क्रमांक नर्सिंग/एलएचवी/( )/09/५८६ दिनांक : - १६/०९

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
राजस्थान ।

विषय:- एलएचवी के पातेय वेतन पर लगाई गई महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कार्यग्रहण कराये जाने के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निदेशालय के विभिन्न आदेशों द्वारा जिलों में कार्यरत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को वरिष्ठता के आधार पर पातेय वेतन पर महिला स्वास्थ्य दर्शका के पद का कार्य करने हेतु लगाया गया था, यदि पातेय वेतन पर लगाये गये कार्मिकों द्वारा कार्यग्रहण करने में लिखित में अनिच्छा व्यक्त की जाती हैं, तो उन्हें पातेय वेतन पर कार्यग्रहण करने हेतु बाध्य नहीं किया जावें, तथा इनसे लिखित में प्रार्थना पत्र प्राप्त किया जावे कि इनसे किनिष्ठ एएनएम को पातेय वेतन पर एलएचवी का कार्य करने हेतु लगाया जाता हैं तो उन्हें कोई आपत्ती नहीं हैं । कार्यग्रहण में इस प्रकार असमर्थता व्यक्त करने वाले सभी कार्मिकों की शूकजाई सूची, निर्धारित कार्यग्रहण अवधि समाप्त होने के एक सप्ताह के भीतर निदेशालय को भेजे, ताकि वरिष्ठता सूची में आगे के कार्मिकों को अवसर प्रदान किया जा सके ।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,  
राजस्थान, जयपुर ।

क्रमांक नर्सिंग/एलएचवी/( )/09/५८६ दिनांक : - १६/०९  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुतः—  
१— सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन—.....

“ अमारी, सर्वे कर्म, भुवे ”

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,  
राजस्थान, जयपुर ।